भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2797

जिसका उत्तर 20 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है ।

29 अग्रहायण, 1945 (शक)

डेटा संरक्षण प्राधिकरण

2797. श्री अरविंद सावंत:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद द्वारा हाल ही में पारित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के अनुसार डेटा संरक्षण प्राधिकरण (डीपीए) का गठन किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसका गठन कब तक किया जाएगा;

(ग) इस प्राधिकरण (डीपीए) के कर्तव्य और उत्तरदायित्व क्या हैं;

(घ) उन संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस अधिनियम के दायरे में बाहर रखा जाना है; और

(ङ) उक्त संगठनों को इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखे जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क)से (ग): सरकारकीनीतियोंकाउद्देश्ययहसुनिश्चितकरनाहैकिभारतमेंइंटरनेटखुला, सुरक्षितऔरविश्वसनीयहोऔरसभीउपयोगकर्ताओंकेप्रतिजवाबदेहहो।

माननीयप्रधानमंत्रीनेडिजिटलपहुंच, डिजिटलसमावेशन , डिजिटलसशक्तिकरणसुनिश्चितकरकेऔरडिजिटलविभाजनकोपाटकरभारतकोडिजिटलरूपसेसशक्तसमाजऔरज्ञानआधारितअर्थव्यवस्थामेंबदलनेकेदृष्टिकोणकेसाथडिजिटलइंडियाकार्यक्रमशुरूकिया।यहकार्यक्रमतीनउद्देश्योंपरकेंद्रितहै, अर्थात्प्रत्येकनागरिककेलिएएकमुख्यउपयोगिताकेरूपमेंडिजिटलअवसंरचना, मांगपरशासनऔरसेवाएं, औरनागरिकोंकाडिजिटलसशक्तिकरण।डिजिटलइंडियाकेपरिणामस्वरूपभारतीयअर्थव्यवस्थाकाडिजिटलीकरणहुआहैऔरइसकेपरिणामस्वरूपउपयोगकर्ताओंकेलिएजीवनकीआसानीमेंवृद्धिहुईहै, साथही, इनप्रयोक्ताओंके लिएअपनेव्यक्तिगतडेटाकेदुरुपयोग होनेसेनुकसानहोने काखतराभीबढ़रहाहै।

सुप्रीमकोर्टने2017मेंपुट्टास्वामीमामलेमेंअपनेफैसलेमेंकहाथाकिनिजताकाअधिकारसंविधानद्वारागारंटीकृतमौलिकअधिकारोंकाआंतरिकहिस्साहै.चूंकिडेटाऔरविशेषरूपसेव्यक्तिगतडेटाडिजिटलअर्थव्यवस्थाऔरडिजिटल उत्पादों, सेवाओंऔरमध्यस्थताकेइको-सिस्टमकेमूलमेंहै, इसलिएयहसबसेइष्टतमहैकिप्लेटफार्मोंऔरमध्यस्थोंकोकानूनीढांचेकेअधीनकियाजाए।वैश्विकमानकसाइबरकानूनोंकेइसढांचेमेंऔरतकनीकीअवसरोंसेभरेभविष्यकीदृष्टिकेसाथ, डिजिटलव्यक्तिगतडेटासंरक्षणअधिनियम, 2023 (डीपीडीपीअधिनियम) 11 अगस्त 2023 कोअधिनियमितकियागयाथा।डीपीडीपीअधिनियमडिजिटलव्यक्तिगतडेटाकेप्रसंस्करणकेलिएइसतरहसेप्रावधानकरताहैजोडेटाफिड्यूशरीजद्वारावैधउद्देश्योंकेलिएव्यक्तिगतडेटाकोसंसाधितकरनेकीआवश्यकताकोचिह्नितहै।इसकेअलावा, डीपीडीपीअधिनियममें व्यक्तियोंकोअपनेव्यक्तिगतडेटाकीरक्षाकरनेकेअधिकारोंकाभीप्रावधानकिया गया है।

डीपीडीपीअधिनियमकीधारा 18 (1) केअनुसार, केंद्रसरकारअधिसूचनाद्वारानिम्नलिखितकार्योंकेसाथभारतडेटासंरक्षणबोर्डकेनामसेएकबोर्डनियुक्तकरसकतीहै:

i. व्यक्तिगतडेटाउल्लंघनोंकीजांच हेतु ;
ii. डीपीडीपीअधिनियमकेप्रावधानोंकापालननकरनेकेलिएडेटाफिड्यूशरीजकेखिलाफडेटानागरिकोंद्वाराकीगईशिकायतोंकोध्यानमेंरखतेहुए;
iii. उपर्युक्तमामलोंपरनिर्णयलेने औरलगाएजानेवालेमौद्रिकदंडपरनिर्णयलेने हेतु ।
iv. उल्लंघनोंसेनिपटनेकेलिएडेटाफिड्यूशरीजकोप्रत्यक्षउपचारात्मकऔरशमनउपाय करने हेतु
v. आमजनताकेहितमेंअधिनियमकेप्रावधानोंकाबार-बारउल्लंघनकरतेपाएजानेपरवेबसाइटयाऐपकोब्लॉककरनेकेलिएसरकारकोसलाहदेने हेतु ।

(घ) से (ङ):डीपीडीपीअधिनियम, 2023 कीधारा 17 मेंकानूनीअधिकारोंकोलागूकरने, न्यायिकयाअर्ध-न्यायिकयाविनियामकयापर्यवेक्षीकार्य, अनुसंधान, अभिलेखीययासांख्यिकीयउद्देश्योंजैसेकुछविशिष्टकार्योंऔरस्टार्टअपजैसीसंस्थाओंकेलिएव्यक्तिगतडेटाकेप्रसंस्करणकेलिएडीपीडीपीअधिनियमकेप्रावधानोंमें सेचुनिंदाछूटोकाप्रावधानहै।वर्तमानमें, किसीभीसंगठनकोअधिनियमकेदायरेसेछूटनहींदीगईहै।

****